UPHR010036782026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act हरदोई।
प्रकीर्ण वाद संख्या– 239/2026
गुड्डी देवी प्रति रवि दीक्षित, आदि

अन्तर्गत धारा– 173(4) BNSS
थाना– अरवल, जिला– हरदोई

दिनांकः 06–07–2026

यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थिनी **गुड्डी देवी** की ओर से, विपक्षीगण **रवि दीक्षित व निलेश दीक्षित** के विरूद्ध BNSS की धारा 173(4) के अन्तर्गत प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु योजित किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थिनी द्वारा किया गया कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वह अनुसूचित चमार जाति की महिला है, जबकि विपक्षीगण ब्राह्मण जाति के जबरदस्त व्यक्ति हैं। प्रार्थिनी दिनांक 09.09.2025 को चौसार बाजार में सब्जी लेने अपने पति के साथ गयी थी। सायं लगभग 5.30 बजे विपक्षीगण बाजार में मिले, प्रार्थिनी के पति से कहा, **साले चमार ज्यादा दिमाग खराब है,** गाली देने से मना करने पर विपक्षीगण, प्रार्थिनी के पति को बाजार चौराहे पर लात घूसों व लाठी डण्डो से मारने पीटने लगे व भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां देकर कहा, **साले चमारो को जान से मार दो, बचने न पाये** और प्रार्थिनी के कपड़े व ब्लाउज फाड़ दिया व छेड़छाड़ की। शोर पर प्रार्थिनी के चचेरे ससुर रामदास व गांव के शोभित व अन्य लोगो ने बचाया। प्रार्थिनी व उसका पति चोटहिल हो गये। थाने गये, कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थिनी व पति ने अपनी डाक्टरी जिला अस्पताल, हरदोई में करायी। अतः अभियोग पंजीकृत कराने हेतु आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार, आवेदिका का पति हीरामणी उर्फ नन्हे पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम चौसार, शराब के नशे में अपने गांव के ग्राम प्रधान राजपाल पुत्र झम्मनलाल (अनुसूचित जाति) से गांव में करवाये गये कार्यों को लेकर विवाद कर रहा था। उस समय आवेदिका गुड्डी मौके पर मौजूद नहीं थी, केवल आवेदिका का पति ही चौसार बाजार में, ग्राम प्रधान राजपाल से विवाद कर रहा था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध ग्राम प्रधान राजपाल मो0 नं0 8381824045 से वार्ता की गयी तथा आसपास के लोगो से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो सभी के द्वारा बताया गया की आवेदिका का पति हीरामणी उर्फ नन्हे ग्राम प्रधान राजपाल पद पर रहते हुए कराये गये कार्यों को लेकर विवाद कर रहा था। उसी समय मौके पर मौजूद विपक्षीगण 1. रवि दिक्षित पुत्र अमरेश व 2. निलेश पुत्र लवकुश निवासी ग्राम चौसार द्वारा उक्त विवाद को शान्त कराया गया था तथा आवेदिका के पति हीरामणी उर्फ नन्हे को समझाया गया था कि विवाद न करे, जिसकी रंजिश मानकर आवेदिका द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जबकि आवेदिका उस समय मौके पर मौजूद नहीं थी। आवेदिका उक्त विपक्षीगण के विरूद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत कराना चाहती है, जिस कारण बढ़ा चढ़ाकर प्रार्थना पत्र प्रेषित कर रही है। उक्त विवाद के चलते दोंनों पक्षों के मध्य कसीदगी व तनाव है। शान्ति व्यवस्था के दृष्टीगत दोनों पक्षों का चालान अन्तर्गत धारा 126/135/135(3) BNSS की निरोधात्मक कार्यवाही दिनांक 14.09.2025 को जीडी न. 31 पर अंकित की गयी थी। आवेदिका द्वारा लगाये गये अन्य आरोप जैसे मारपीट करना, गाली गलौज करना तथा आवेदिका के साथ छेड़छाड़ करना, आदि सभी आरोपों की दौराने जाँच असत्य व निराधार पाए गये है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानात्र पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

Gyanendra Tripathi
Spl. Judge SC/ST (P.A.) Act

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.07.15 19:06:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति के माध्यम से कथन किया गया है कि विपक्षीगण ग्राम चौसार थाना अरवल जिला हरदेई के मूल निवासी है एवं विपक्षीगण की मेन रोड पर बाजार में परचून की दुकान है। दिनांक 09.09.2025 को 5:30 बजे शाम, प्रार्थिनी के पति हीरामणि उर्फ नन्हें, जाति चमार, शराब के नशे में वर्तमान प्रधान राजपाल जाटव से गाली गलौज करके इन्दिरा आवास की मांग कर रहा था। जब वर्तमान प्रधान ने कहा कि शासन की तरफ से योजना आयेगी, तब तुम्हें वरीयता के आधार पर आवास आवंटित करा दिया जायेगा। घटना के समय प्रार्थिनी गुड्डी वहां मौजूद नही थी। प्रधान राजपाल व प्रार्थिनी के पति के मध्य तमाम अन्य दुकानदारों ने बीच बचाव कराकर शान्ति कर उनके घर भिजवा दिया। प्रार्थिनी गुड्डी ने स्वयं कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि गांव वालों के कहने पर, चुनावी रंजिश के कारण झूठा एवं मनगढ़ंत प्रार्थना पत्र विपक्षीगणों के विरूद्ध दिया, जिसकी जांच समय–समय पर थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी हरपालपुर ने मौके पर दुकानदारों से पूछताछ कर मौखिक बयान और उक्त दुकानदारों के शपथ पत्र लिये आरोप को झूठा पाया, जिसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथित घटना का कोई कारण नही बताया गया है कि क्यों विपक्षीगण ने उसके पति से दुर्व्यवहार किया। अकारण किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के साथ बाजार में कथित अपराध, गाली–गलौज, मारपीट तथा पत्नी के साथ अश्लील हरकत किया जाना तार्किक दृष्टि से संभव प्रतीत नही होता है। प्रार्थना पत्र हेतुक के बिन्दु पर पूर्णतः मौन है। अतः थाने की आख्या व विपक्षीगण की आपत्ति में वर्णित घटना तथ्यपरक, सत्य व विश्वसनीय पायी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षीगण पर दबाव बनाने हेतु प्रार्थिनी द्वारा, अपनी अनुसूचित जाति की प्रास्थिति का दुरूपयोग करते हुए, कपोल–कल्पित कथानक को आपराधिक स्वरूप प्रदान करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

दिनांकः 06–07–2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574